(97)

COURT FEE Rs.20 भारत INDIA TWENTY RUPEES

COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

# मानननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2688/2018/उज्जैन/भू.रा

1. हकीमुद्दीन पिता ताहेरअली कनवासवाला
2. काईद जोहर पिता ताहेरअली कनवासवाला

निवासीगण – महात्मा बुद्ध मार्ग, खबावास, खाचरौद
जिला उज्जैन म.प्र. ....प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 3.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8.5.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. सोयेब अली पिता युसुफ अली
   निवासी – वृंदावनगली खाचरौद
2. इकबाल हुसैन पिता युसुफ अली
3. फखरूद्दीन पिता युसुफ अली
4. फातिमाबाई बेबा असगर अली
5. कासिमअली पिता असगर अली
   निवासीगण – 22, सेफीगली खाचरौद
6. नूरउद्दीन पिता असगर अली
   निवासी – खाचरौद, हालमुकाम कुवैत।
7. रशीदाबाई पति असगर अली
   निवासी – बादलपुरा,उज्जैन।
8. काईद जोहर पिता तसद्दुक हुसैन
   निवासी – बोहराबाखल बडनगर।
9. मुर्तुजा पिता तसद्दुक हुसैन
   निवासी– बडनगर, हाल मुकाम – कुवैत।
10. नीसरीनबाई पति हातिमअली
    निवासी – मैनरोड सेलाना जिला रतलाम
11. अजबबाई पति हकीमुद्दीन
    निवासी – भिण्डी बाजार मुंबई महाराष्ट्र
12. नफीसाबाई पति तसद्दुक हुसैन
    निवासी – सागरमल मार्ग, खाचरौद ..... प्रतिप्रार्थीगण

Contd....2

**विषय :–** **<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खाचरौद द्वारा प्रकरण क्र.9/अपील/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 जिसके द्वारा प्रतिप्रार्थी क्र.1 लगायत 5 का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 अवधि विधान का स्वीकार किया गया हैं, के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र.राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत।</u>**

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी क्र.1 लगायत 5 द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील खाचरौद द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ–6/06–07 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्ध दिनांक 15.09.2016 को धारा 44 (1) म.प्र. भूराजस्व संहिता के अधीन अपील प्रार्थी व अन्य प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 9/अपील/16–17 था इस अपील के साथ एक आवेदन पत्र प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा धारा 05 अवधि विधान के आधीन अपील को प्रस्तुत करने में हिए विलंब को क्षम्य किए जाने के हेतु प्रस्तुत किया था और इस आवेदन पत्र के समर्थन में प्रतिप्रार्थी क्र.1 शोयेब अली का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त आवेदन पत्र का प्रार्थीगण की ओर से विरोध करते हुए लिखित में उत्तर प्रस्तुत किया गया था और समर्थन में प्रार्थी क्र.2 काईद जोहर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था और उसमें विलंब क्षम्य किए जाने के कारण को अस्वीकार करते हुए यह उल्लेखित किया गया था कि प्रतिप्रार्थी क्रमांक–1 लगायत 3 आपस में सगे भाई हैं एवं प्रतिप्रार्थी क्र.4 व 5 प्रतिप्रार्थी क्र.1 लगायत 3 के भाई असगर अली के विधिक उत्तराधिकारी हैं, और प्रत्यर्थी क्र. 2 लगायत 5 के संबंध में आवेदन पत्र में विलंब क्षम्य किए जाने का कोई कारण उल्लेखित नहीं है। परिणाम में अपील निरस्त किए जाने के योग्य हैं।

2. यह कि, इसके पश्चात् अधीनस्थ योग्य अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 अवधि विधान को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 10.04.2018 को पारित किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

## <u>निगरानी के आधार</u>

1. यह कि, अधीनस्थ योग्य अपीलीय न्यायालय ने निगरानीग्रस्त आदेश पारित करने में घटनात्मक, वैधानिक व क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि की हैं।

***Contd....3***

पं.XXIX(a)-BR(H)-11

(97)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-2688/2018/उज्जैन/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10/1/19 | आवेदक की ओर से .अधिवक्ता श्री संदेश परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।<br>(3)<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |